SHRI K. K. RAGESH: But, unfortunately, the present Government is opening up the insurance sector for.. ...(*Interruptions*).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Now, Shri Naresh Agrawal. ...(*Interruptions*)... You associate. That is enough. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Naresh Agrawal, Shri Tapan Kumar Sen, Shri T. K. Rangarajan, all the names of the hon. Members, who have associated themselves with it, may be included. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. K. Ragesh, now sit down. It is not going on record. Sit down.

Delay in release of funds under MPLADS

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, सारे एम.पीज़. को उनके क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष निधि दी जाती है। उसमें यह प्रतिबंध है कि डी.एम. और सी.डी.ओ. के माध्यम से निधि खर्च होगी। एम.पी. का उसमें रोल इतना है कि हम प्रस्ताव दे दें, बाकी जिले के अधिकारियों की यह ड्यूटी है कि उन प्रस्तावों को सही समय से लागू कर दें, उनके टेंडर कर दें, उन पर काम हो जाए। श्रीमन्, आपकी अध्यक्षता वाली कमेटी में भी यह बात उठी थी कि जिले के अधिकारी उसका यूज़ नहीं करते हैं और चूंकि 80 परसेंट यूटिलाइजेशन नहीं भेजते तो दूसरी किश्त जारी नहीं होती है। हम लोगों ने कई बार कहा कि जब 5 करोड़ रुपए है तो एक बार में आप जारी कर दीजिए। वह किसी एम.पी. के खाते में नहीं जाती, जिलाधिकारी के खाते में जाती है और वह उसको यूज़ करे। यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि अगर 80 परसेंट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर किश्त जारी नहीं होगी। इस प्रकार हम लोगों की तीन-तीन किश्तें बाकी हैं। किसी की तो पांच-पांच, छः-छः किश्तें बाकी हैं। क्योंकि उन्होंने यूटिलाइजेशन नहीं किया, बीच में आचार संहिता दो-दो, तीन-तीन महीने लग गई, तमाम

* Not recorded.

राज्यों में आचार संहिता लग गई, निधि ऐसे ही पड़ी हुई है। लोग निधि के नाम से हम लोगों को बदनाम करते हैं, या तो निधि समाप्त ही कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हम तो कहते हैं कि निधि खत्म करिए। अगर खत्म नहीं करते हैं तो यह जो रिस्ट्रिक्शन है, जब हमारे कोई अधिकार नहीं हैं, सारे फाइनेंशियल अधिकार जिले के जिलाधिकारी को हैं, सी.डी.ओ. को हैं, तो फिर क्यों नहीं हमारी निधि लगातार जारी की जाती, क्यों नहीं हम प्रस्ताव दे सकते हैं? हम प्रस्ताव 5 करोड़ रुपए के एक साथ दे देंगे, आप एक साथ रिलीज़ कर दीजिए। यह डी.एम. का काम है। अगर वह साल भर में नहीं देता है तो इसको देखिए और सी.डी.ओ. को पिनश कीजिए। हमारी निधि रोकने का कौन सा अधिकार है? यह तो एक तरीके से एम.पीज़. पर इतना अंकुश है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई नहीं गई, सेवंथ पे कमीशन सब पर लागू हो गया, एम.पीज़. पर नहीं लागू होगा, सब पर लागू हो गया। अगर प्लेन में कहीं कोई बात हो जाए तो सारे प्लेन वाले एम.पी. पर रोक लगा देते हैं कि हमारे किसी प्लेन में एम.पी. नहीं चलेगा। तो यह तो एक तरीके से लगता है कि एम.पी. बड़ा VVIP पर्सन हो गया, लेकिन बिना अधिकार के। मीडिया को बस एक ही क्रिटिसाइज़ करने को मिलता है कि एम.पीज़. को करें। हमको हमारे पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि एम.पीज़. निधि के बारे में आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए, अभी तक वे इंस्ट्रक्शन लागू नहीं हुए। हम भी उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन लागू नहीं हो रहे हैं। या तो सदन के माध्यम से प्रस्ताव पास कराइए या फिर उसके रूल बदले जाएं और मंत्री जी से कहा जाए कि जो मीडिया है, उसको सख्त रखें, दाग न लगे और एम.पी. निधि से वास्तविक काम हो सके। इसलिए मैंने इसको उठाया है। मुझे उम्मीद है कि इसको सदन गंभीरता से लेगा।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राज बब्बर (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो (पंजाब): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री मुनक़ाद अली (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the important issue.

SHRI RAJ BABBAR (Uttarakhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the names of the hon. Members, who have associated themselves with it, may be included. Okay. Both sides are associating. Parliamentary Affairs Minister, I think, it is true that there is some inordinate delay in releasing the funds. It is true. Please. ...(*Interruptions*)... Maybe, it is either at the District Headquarters, by the District Magistrate or, here, in the Ministry office. Wherever it is, it should be streamlined and the funds should be released expeditiously, subject to all other requirements. Please inform him.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, नरेश अग्रवाल जी ने जो यह इश्यू उठाया है और इस पर आपने जो डॉयरेक्शन दिया है, यह बात सही है कि जो एम.पी. लैड फंड है, उसके जो नियम हैं, उनका सरलीकरण होना चाहिए और जो नियम हैं, उनके तहत विकास योजनाओं की जो भी रिकमंडेशंस ऑनरेबल एम.पीज़. देते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिना कारण डिले न करे। इस संबंध में आपकी अध्यक्षता में भी कमेटी है और लोक सभा की भी कमेटी है और मैं सरकार को भी इस संबंध में बताऊंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government is also one with you, Mr. Naresh Agrawal. Everybody agrees. Now, Shri Ronald Sapa Tlau.

Strike by CSS Hindi teachers in Mizoram

SHRI RONALD SAPA TLAU (Mizoram): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on a very important issue regarding my Constituency. There are 1,305 Hindi Teachers who are on strike. They are on hunger